

कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास)  
जगदलपुर, जिला-बस्तर(छ0ग0)

email ID: [bastar.dpo.84@gmail.com](mailto:bastar.dpo.84@gmail.com)

Phone No.07782-222827

कमांक/2575 / मबावि / स्था(सा.वि.) / 2025-26

जगदलपुर, दिनांक 20/01/2026

प्रति,

संयुक्त संचालक,  
प्रकाशन संचालनालय जनसम्पर्क  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने विषयक ।

--:0:--

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" का आरंभ किया गया है । भारत सरकार द्वारा बस्तर जिले में 50 सीटर शक्ति सदन स्थापित कर भारत शासन के मिशन शक्ति के नवीन दिशा-निर्देशानुसार प्रति सदन हेतु पद स्वीकृत क्षमता 50 हेतु 09 पद (संविदा) स्वीकृत किये गये हैं । आवेदन पत्र [bastar.gov.in](http://bastar.gov.in) पोर्टल पर हिन्दी / अंग्रेजी भाषा में भरने हेतु लिंक दिया गया है । ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 06 फरवरी 2026 तक हैं । कृपया 02 स्थानीय एवं 02 राज्य स्तर समाचार पत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे ।

टीप :- हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक ही भाषा का चयन कर आवेदन करें, दोनों भाषाओं में आवेदन पत्र भरने जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :-प्रेस विज्ञापित सूचना पत्र ।

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

पृ.कमांक/2576/मबावि/मिशन शक्ति/2025-26  
प्रतिलिपि :-

जगदलपुर, दिनांक 20/01/2026

1. सचिव, छ.ग.शासन मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. जिला सूचना अधिकारी (NIC)जगदलपुर, जिला बस्तर । कृपया वेबसाईट [www.bastar.gov.in](http://www.bastar.gov.in) पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास)  
जगदलपुर, जिला-बस्तर(छ0ग0)

email ID: [bastar.dpo.84@gmail.com](mailto:bastar.dpo.84@gmail.com)

Phone No.07782-222827

कमांक/2577 / मबावि/स्था(सा.वि.)/2025-26

जगदलपुर, दिनांक 20/01/2026

प्रेस विज्ञापित

मिशन शक्ति अंतर्गत शक्ति सदन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" का आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा बस्तर जिले में 50 सीटर शक्ति सदन स्थापित कर भारत शासन के मिशन शक्ति के नवीन दिशा-निर्देशानुसार प्रति सदन हेतु पद स्वीकृत क्षमता 50 हेतु 09 पद (संविदा) स्वीकृत किये गये हैं आवेदन पत्र [bastar.gov.in](http://bastar.gov.in) पोर्टल पर हिन्दी / अंग्रेजी भाषा में भरने हेतु लिंक दिया गया है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 06 फरवरी 2026 तक है, विज्ञापित पद निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेबल	निर्धारित एकमुश्त/ संविदा मासिक वेतन
		UR	ST	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय अधीक्षक	01	00	01	07	20900/-
2	कार्यालय सहायक	01	00	01	05	16310/-
3	बहु उद्देशीय सहायक	01	01	02	02	11720/-
4	रसोईयाँ (अर्द्धकालीन संविदा)	01	01	02	02	6135/-
5	सुरक्षा गार्ड/ चौकीदार	01	02	03	01	11360/-
योग :-		05	04	09	-	-

टीप :- हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक ही भाषा का चयन कर आवेदन करें, दोनों भाषाओं में आवेदन पत्र भरने जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

विस्तृत जानकारी वेबसाईट [www.bastar.gov.in](http://www.bastar.gov.in) पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

**कार्यालय कलेक्टर, (महिला एवं बाल विकास)  
जगदलपुर, जिला-बस्तर(छ0ग0)**

**email ID: bastar.dpo 84@ gmail.com**

**Phone No.07782-222827**

क्रमांक / 2578 / मबावि / स्था(सा.वि.) / 2025-26

जगदलपुर, दिनांक 20/01/2026

- / / विज्ञापन / / -

**मिशन शक्ति अंतर्गत शक्ति सदन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन**

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" का आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा बस्तर जिले में 50 सीटर शक्ति सदन स्थापित कर भारत शासन के मिशन शक्ति के नवीन दिशा-निर्देशानुसार प्रति सदन हेतु पद स्वीकृत क्षमता 50 हेतु 09 पद (संविदा) स्वीकृत किये गये हैं। भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" का आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा बस्तर जिले में 50 सीटर शक्ति सदन स्थापित कर मिशन शक्ति के नवीन दिशा-निर्देशानुसार प्रति सदन हेतु पद स्वीकृत क्षमता 50 हेतु 09 पद (संविदा) स्वीकृत किये गये हैं। आवेदन पत्र [bastar.gov.in](http://bastar.gov.in) पोर्टल पर हिन्दी / अंग्रेजी भाषा में भरने हेतु लिंक दिया गया है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 06 फरवरी 2026 तक हैं। विज्ञापित पद निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेबल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		UR	ST	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय अधीक्षक	01	00	01	07	20900/-
2	कार्यालय सहायक	01	00	01	05	16310/-
3	बहु उद्देशीय सहायक	01	01	02	02	11720/-
4	रसोईयाँ (अर्द्धकालीन संविदा)	01	01	02	02	6135/-
5	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	01	02	03	01	11360/-
योग :-		05	04	09	-	-

**टीप :-** हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक ही भाषा का चयन कर आवेदन करें, दोनों भाषाओं में आवेदन पत्र भरने जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।

**B.** भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिये गये मार्गदर्शी निर्देश अंतर्गत शक्ति सदन हेतु कर्मचारियों के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हताएँ एवं वित्तीय मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

क्र.	पद का नाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय शर्तें	आयु सीमा
1	आवासीय अधीक्षक	विधि/सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर		शासकीय/अशासकीय परियोजना/कार्यक्रमों में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र में प्रशासनिक/प्रबंधकीय पद पर कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा उसी पद के भीतर या बाहर कार्टसलिंग का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	स्थानीय समुदाय/क्षेत्र के महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु मानव संसाधन एवं अनुभव का उपयोग किया जा सके साथ ही कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान हो।	आयु 01.01.2025 को 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।

*(Handwritten Signature)*

क्र.	पद का नाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय शर्तें	आयु सीमा
	कार्यालय सहायक	किसी भी विषय में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस में कार्य करने हेतु दक्ष।	राज्य या जिला स्तर पर शासकीय / अशासकीय संगठनों में कार्यालयीन कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	-	आयु 01.01. 2025 को 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
3	बहुउद्देशीय सहायक	पांचवीं उत्तीर्ण	-	पद अनुरूप क्षेत्र में काम करने का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	-	आयु 01.01. 2025 को 18 वर्ष से कम न हो।
4	रसोईयां	पांचवीं उत्तीर्ण	-	पद अनुरूप क्षेत्र में काम करने का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	-	
5	सुरक्षा गार्ड / चौकीदार	पांचवीं उत्तीर्ण	-	राज्य / जिला स्तर पर शासकीय या प्रतिष्ठित संस्थान में सुरक्षागार्ड के रूप में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	सेवानिवृत्त सैन्य / अर्द्ध-सैन्य व्यक्ति को / महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।	

- C. शक्ति सदन में समस्त कर्मचारी महिलाएं होंगी।
- D. शक्ति सदन के संचालन हेतु कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं किया जायेगा। संस्था में संविदा आधार पर कर्मचारी के नियुक्ति के पूर्व चरित्र/अन्य संबंधी सत्यापन पुलिस विभाग के द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- E. उपरोक्त कर्मचारियों के एकमुश्त वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हे वृद्धि अनुसार ही एकमुश्त वेतन दिया जावेगा।
- F. भारत शासन द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित प्रति शक्ति सदन हेतु प्रत्येक पदों पर वार्षिक व्यय राशि 12.84 लाख रुपये सीमा के भीतर होगा।

## 2. वेतन भत्ते एवं सुविधा :-

- 2.1 शक्ति सदन हेतु निर्धारित एकमुश्त वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है तथा अन्य सुविधाएं (अवकाश, यात्रा भत्ता व्यय एवं वेतन भारत शासन की वित्तीय सीमा के भीतर) छत्तीसगढ़ राज्य में गठित राज्य संविदा भर्ती नियम के अनुसार होगा, यह पद योजना के पद है। अतः विभागीय सेटअप में शामिल नहीं किया जायेगा अपितु योजना संचालन तक भारत शासन के दिशा-निर्देशानुसार संविदा अवधि तक तथा निर्धारित संविदा वेतन पर होंगे।

- 2.2 पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्र. 01 (a) की सारणी क्र. 04 में उल्लेखित है तथा योजनावधि में नियुक्त कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन/भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 2.3 इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

### 3. वेतन भत्ते एवं सुविधा :-

- 3.1 शक्ति सदन के आवासीय अधीक्षक एवं कार्यालय सहायक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- 3.2 शक्ति सदन के शेष पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम न हो।
- 3.3 आयु के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या शाला का दाखिल खारिज पंजी/कक्षा 5 वीं/8 वीं/10 वीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, के आधार पर किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अंकसूची की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 3.4 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को राशि 50/- रुपये के स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3.5 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित किया जावें।
- 3.6 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव स्व प्रमाणित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 3.7 आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 3.8 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा, का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।
- 3.9 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। आवेदक द्वारा पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाइल नम्बर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 3.10 आवेदक अपनी आर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित आर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

3.11 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जायेगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यकता हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है।

3.12 ऑनलाइन आवेदन निर्धारित की गई तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जायेगे।

3.13 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3.14 योजना के अंतर्गत एकमुश्त वेतन पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1985 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

#### 4. नियुक्ति प्रक्रिया :-

4.1 मिशन शक्ति योजनांतर्गत शक्ति सदन के संचालन हेतु स्वीकृत 09 पदों पर नियुक्तकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

4.2 मिशन शक्ति योजनांतर्गत जिले में शक्ति सदन संचालन हेतु स्वीकृत पदों की नियुक्ति जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जा कर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी। चयन समिति जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी, अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगे।

4.3 जिले की चयन समिति के संयोजक जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। समिति में जिले के कोषालय अधिकारी, उपसंचालक रोजगार, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/परियोजना अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित एक या दो अन्य अधिकारी शामिल होंगे। चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी सहित महिला राजपत्रित अधिकारी का प्रतिनिधित्व हो, यह भी ध्यान रखा जावे।

4.4 चयन समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मेरिट) एवं प्रक्रिया निर्धारण करते हुए समचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जायेगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन की अंकीय प्रणाली निर्धारित की जायेगी। आवेदनों के मुल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेगे -

4.4.1 वाछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों वेटेज देते हुए 60 अंक।

4.4.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेगे अधिकतम 20 अंक।

4.4.3 उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

4.4.4 वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनो रखा जाना है, वहां दोनो में 10-10 अंक होंगे।

4.4.5 अभ्यर्थियों के चयन हेतु मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

4.5 समिति आंमत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्र. 4.3 उप कंडिका 4.4.1, 4.4.2 एवं 4.3.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट सूची में से प्रत्येक पद के 1:5 के अनुपात में वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आंमत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी एवं चयन किया जायेगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

#### 5. नियुक्ति अवधि :-

5.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जायेगा। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, व्यवहार, विभाग की आवश्यकता तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि प्रत्येक बार 01 या 02 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी। संविदा की यह अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी।

5.2 नियुक्ति अवधि में शक्ति सदन के प्रावधान के अनुसार संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। इन कर्मचारियों को अवकाश सुविधा की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय-समय पर) अनुसार ही देय होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा।

5.3 योजना के 09 पद संविदा वेतन के पद स्थायी नहीं है तथा नियुक्त कर्मियों के द्वारा अच्छे अवसर प्राप्त होने पर त्याग पत्र दिये जाने की सतत् प्रक्रिया होती है। अतः इन पदों पर त्याग पत्र होने के उपरांत रिक्त हुए पदों पर पुनः नियुक्ति के अधिकार जिला कलेक्टर ही होंगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
 जिला कार्यक्रम अधिकारी  
 महिला एवं बाल विकास विभाग  
 जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)